भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–07 / 2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

सबीता साव, पति–स्व0 अबनी भूषण साव एवं अन्य–03 .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा) .... विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता सबीता साव, पति–स्व0 अबनी भूषण साव (2) मृनाल कान्ति साव, (3) सुब्रतो साव, (4) देवब्रत सावसभी के पिता–स्व0 अबनी भूषण साव, ग्राम–पाईकेम्बी, थाना–गोपीबल्लभपुर, जिला–मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, वर्त्तमान पता–बहरागोड़ा, थाना–बहरगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ने झारखण्ड राज्य सरकार (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा), जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–176 R27 / 2017–18, / बहरागोड़ा में दिनांक–21 / 11 / 2017 को पारित आदेश के विरूद्ध नामान्तरण अपील आवेदन दायर किया गया हैं। उक्त के आलोक में सूनवाई हेतु उभय पक्षों को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–176 R27 / 2017–18 / बहरागोड़ा प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन पत्र के साथ Sale of deed No.-1955, दिनांक–22 / 02 / 1971 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–केवला, थाना नं0–917, खाता नं0–143 एवं 144 प्लॉट नं0–31 एवं 33 रकवा–0.35 ए0 एवं 0.22 ए0 कुल रकवा–0.57 एकड़ भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के समक्ष आवेदन किया गया था, जिसे अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा ने अपने आदेश दिनांक–21 / 11 / 2017 के द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं। अपीलकर्त्ताके स्वर्गीय पति अबनी भूषण साव ने बिक्रेता भोला नाथ पाल, पिता–सर्वेश्वर पाल, ग्राम–साकरा, थाना–बहरागोड़ा से निबंधित बिक्री केवला संख्या–1955, दिनांक–22 / 02 / 1971के माध्यम से क्रय किया गया था। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा बिना	

जाँच–पड़ताल, स्थाल का निरीक्षण किये बिना तथा कागजात देखें बिना ही नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील आवेदन को नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं। क्रेता स्व0 अबनी भूषण साव के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अपीलकर्त्ता नं0–1 तथापुत्रगण अपीलकर्त्ता नं0–2 से 4 आवेदित भूमि का वैध उत्तराधिकारहै तथा भूमि पर शांति पुर्वक दखल में है।

दिनांक–18/01/2018 को सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा की ओर से अंचल निरीक्षक, बहरागोड़ा द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए बताया कि भूखण्ड पर बिक्रीकर्त्ता के पुत्र मदन मोहन पाल का आवेदित भूमि पर घेराबंदी कर दखल में है, अपीलकर्त्ता का आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल में नही पाया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत भूमि भोलानाथ पाल द्वारा वर्ष 1971 में अपीलकर्त्ता के पति अबनी भूषण पाल को बिक्री किया गया था। तदनुसार अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा को वर्त्तमान दखलकर पुत्रगण को नोटिस निर्गत करने हेतु आदेश दिया गया।

बिक्रेता के पुत्रगण मधुसुदन पाल, (2) मुरारी मोहन पाल तथा (3) मदन मोहन पाल सभी के पिता–स्व0 भोला नाथ पाल द्वारा वाकालतनामा के साथ उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से Intervenor के रूप में न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करते हुए दिनांक–08/03/2018 को अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।कारण–पृच्छा के माध्यम से बताया कि विवादित भूमि भोला नाथ पाल द्वारा अपीलकर्त्ता के पति स्व0 अबनी भूषण पाल को कभी भी जमीन नही बेचा है। भोला नाथ पाल द्वारा प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि को भी बिक्री केवला संख्या–5785 के माध्यम से भूमि मालिक सुधीर कुमार दास से खरीदा हुआ भूमि है। वर्त्तमान तक उनके ही दखल कब्जा में है।आवेदित भूमि में से मौजा–केवाला खाता नं0–143, प्लॉट नं0–31, रकवा–0.35 एकड़ भोला नाथ पाल द्वारा राम रंजन पाल को बिक्री केवाला संख्या–7584, दिनांक–07/11/1966 द्वारा बिक्री किया गया है, तब से वह उक्त प्रश्नगत भूमि पर उनका ही दखल कब्जा में है। मौजा–केवाला, खाता नं0–144, प्लॉट नं0–33, रकवा–0.22 एकड़ भूमि स्व0 भोला नाथ पाल के जीवित अवस्था में कभी भी अबनी भूषण पाल या अन्य किसी भी व्यक्ति को बिक्री नही किया गया है। आवेदित भूमि पर पूर्व में भोला नाथ पाल के दखल में था तथा वर्त्तमान में उनके

उत्तराधिकार पुत्रगण के दखल में ही है। अपीलकर्त्ता श्रीमती सबीता साव एवं अन्य तथा उनका पति विवादित भूमि पर कभी भी दखल में नही रहा है। जो दलील न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है वह दलील फर्जी एवं गलत है। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा पारित आदेश नियमानुसार हैं। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा दायर नामान्तरण वाद को रद्द किया जाय और अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा का ऑनलाईन नामान्तरण मुकदमा सं0–176/R27/2017-18/बहरागोड़ा का अवलोकन किया। दिनांक–11.04.2017 को हल्का कर्मचारी/अं0 निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी ने सरजमीन पर आवेदक का दखल न होने के कारण नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत किया है।

तत्पश्चात अंचल अधिकारी बहरागोड़ा द्वारा 856/R27/2018–19 बहरागोड़ा, दिनांक–05.01.2019 द्वारा इसी भूमि के नामान्तरण की स्वीकृति दी गई, यह जानते हुए भी कि न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता घाटशिला के न्यायालय में यह वाद सुनवाई चल रही है, जो विधिसंगत नहीं है।

स्थानीय जाँच के क्रम एवं संलग्न केवाला के आधार पर इस वाद सं0–07/2017–18 के आवेदक श्रीमती सबीता साव के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इनके पक्ष में नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। अंचल अधिकारी तदनुसार शृद्धि पत्र निर्गत करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–04/07/2020 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

04/07/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

04/07/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।